कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंराज(प्राशि) राजस्थान, बीकानेर

(ई–मेल– scholarship.ele.2013@gmail.com)

क्रमांकः– शिविरा–प्रारं/छात्रवृति/3745/लाप्रोयो/2026–27/ दिनांकः–यथाहस्ताक्षर

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा।

विषयः– लाडो प्रोत्साहन योजना की संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के अनुसार कार्यवाही के संबंध में।

संदर्भः– संयुक्त शासन सचिव प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना) विभाग, जयपुर का पत्रांक F.1(01) ELE .EDU./ PLAN / 2024-07222-6353877 दिनांक 19.05.2026 एवं 27.05.2026 के क्रम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि महिला अधिकारिता विभाग द्वारा लाडो प्रोत्साहन योजना की गाइडलाइन में किये गये संशोधन अनुसार विभागीय मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) में शासन द्वारा दिनांक 19.05.2026 को संशोधन अनुमोदित किया गया है।

संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) अनुसार अब माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन राजकीय विद्यालय एवं मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में अध्यनरत बालिकाओं को योजनांतर्गत लाभ जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा के माध्यम से एवं प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अधीन राजकीय विद्यालय एवं मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में अध्यनरत बालिकाओं को योजनांतर्गत लाभ जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा के माध्यम से दिया जाना आदेशित हुआ है। शासन द्वारा संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) अनुमोदन उपरांत शालादर्पण पॉर्टल के लाडो प्रोत्साहन योजना मॉड्यूल पर आवश्यक संशोधन दिनांक 01.07.2026 से प्रभावी हो जाएंगे।

वर्तमान में जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा की आई.डी. पर प्राप्त आवेदनों की दिनांक 01.07.2026 से पूर्व भुगतान स्वीकृतियां जारी कर विपत्र कोष कार्यालय भिजवाकर संबंधित के खातों में डीबीटी करवाना तथा त्रुटि/कमी वाले आवेदनों को दिनांक 01.07.2026 से पूर्व सुधार हेतु रिवर्ट करवाना सुनिश्चित करें, ताकि दिनांक 01.07.2026 से संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) अनुसार कार्यवाही की जानी सुनिश्चित हो सके।

अतः इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि शासन द्वारा संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नः– संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया (SOP)

(सीताराम जाट)
I.A.S.
निदेशक
प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायतीराज
(प्रा.शि.) विभाग, राजस्थान
बीकानेर।

क्रमांकः–शिविरा–प्रारं/छात्रवृति/3745/लाप्रोयो/2026–27/ दिनांक :– यथाहस्ताक्षर

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, संभाग।
2. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी।
3. जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा।
4. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
5. समस्त पी.ई.ई.ओ/यू.सी.ई.ई.ओ/संस्थाप्रधान राजकीय एवं निजी मान्यता प्राप्त विद्यालय।

निदेशक
प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायतीराज
(प्रा.शि.) विभाग, राजस्थान
बीकानेर।

RajKaj Ref No.: 22585058
M e-Sign

लाडो प्रोत्साहन योजना की तृतीय एवं पश्चातवर्ती किश्तों का भुगतान शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन किये जाने के लिए

मानक संचालन प्रक्रिया (SOP)

(संशोधित)

1. योजना का परिचय :–

लेखानुदान घोषणा (2024–25) बिन्दु (34) में ''गरीब परिवारों की बालिकाओं के जन्म पर एक लाख रुपये का सेविंग बॉण्ड प्रदान करने हेतु'' लाडो प्रोत्साहन योजना दिनांक 01.08.2024 से लागू की गई है। शिक्षा विभाग में शैक्षणिक सत्र 2024–25 से इस योजना अन्तर्गत लाभ देय होगा।

2. योजना के उद्देश्य :–

1. राज्य में बालिका जन्म के प्रति सकारात्मक सोच एवं बालिका का समग्र विकास सुनिश्चित करना।
2. बालिकाओं के पालन–पोषण, शिक्षण व स्वास्थ्य के मामले में होने वाले लिंग–भेद को रोकना एवं बालिकाओं का बेहतर शिक्षण व स्वास्थ्य सुनिश्चित करना।
3. संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर मातृ मृत्यु दर में कमी लाना।
4. बालिका शिशु मृत्यु दर में कमी लाना एवं घटते शिशु लिंगानुपात को सुधारना।
5. बालिकाओं का विद्यालयों में नामांकन एवं ठहराव सुनिश्चित करना।
6. बालिकाओं को समाज में समानता का अधिकार दिलाना।
7. बालिकाओं की उच्च शिक्षा सुनिश्चित करना एवं बाल विवाह में कमी लाना।

3. योजना का विवरण :–

1 **बालिका के जन्म पर ₹ 1.50 लाख की राशि का संकल्प पत्र प्रदान किया जाएगा।**

2 सम्पूर्ण भुगतान 7 किश्तों के रूप में डीबीटी के माध्यम से ऑनलाईन किया जाएगा।

3 बालिका के वयस्क होने तक पहली छः किश्तें बालिका के माता–पिता/अभिभावक के बैंक खाते में एवं सातवीं किश्त बालिका के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से ऑनलाईन हस्तांतरित की जायेगी।

4 राजश्री योजना को लाडो प्रोत्साहन योजना में समाहित किया गया है एवं राजश्री योजना की आगामी किश्तों का लाभ पात्रतानुसार लाडो प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत देय होगा।

Scanned with OKEN Scanner

4. <u>योजना के अन्तर्गत देय लाभः–</u>

योजना के अन्तर्गत प्रत्येक लाभार्थी बालिका को कुल राशि रूपये **1.50 लाख** अधिकतम का भुगतान निम्नानुसार किया जायेगा :–

क्रं.सं.	विवरण	देयराशि (रू.)
1	राज्य सरकार द्वारा पंजीकृत चिकित्सा संस्थानों में बालिका के जन्म पर	2500/–
2	**बालिका के 9–12 माह तक लगने वाले समस्त टीकाकरण पूर्ण होना प्रमाणित होने पर लाभ देय होगा**	**2500/–**
3	राजकीय विद्यालय/राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में बालिका के प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने पर	4000/–
4	राजकीय विद्यालय/राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में बालिका के कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर	5000/–
5	राजकीय विद्यालय/राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में बालिका के कक्षा 10 में प्रवेश लेने पर	11000/–
6	राजकीय विद्यालय/राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में बालिका के कक्षा 12 में प्रवेश लेने पर	25000/–
7	सरकार से मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने एवं 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर	**100000/–**
8	कुल	**1,50,000/–**

<u>नोटः–</u> स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा केवल तृतीय से छठी किश्त तक के भुगतान की कार्यवाही शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से की जाएगी।

- **योजना की प्रथम दो किस्तों का लाभ लेने के बाद किसी चरण में किसी किस्त का लाभ नहीं लिए जाने की स्थिति में पात्रता पूर्ण करने वाली बालिका को अगली किस्त का लाभ दिया जा सकेगा।**
- लाडो प्रोत्साहन योजना में तीसरी एवं आगे की किस्तों का लाभ लेने के लिए संतान की संख्या की सीमा का कोई बंधन नहीं रखा गया है। पूर्व में प्रथम दो किस्तों का लाभ ले चुकी सभी बालिकाओं को योजना का लाभ देय होगा।

Scanned with OKEN Scanner

5. पात्रता:–

1. **बालिका को जन्म देने वाली प्रसूता राजस्थान की निवासी हो एवं उसके पास आधार एवं जनाधार कार्ड हो।**
2. राजकीय चिकित्सा संस्थान/जननी सुरक्षा योजना (JSY) योजना के लिए अधिस्वीकृत निजी चिकित्सा संस्थान में जन्म लेने वाली बालिका।
3. लाडो प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत देय समस्त परिलाभ राजस्थान जन–आधार कार्ड के माध्यम से ही देय है।
4. मुख्यमंत्री राजश्री योजना में पात्र पाई गई बालिकाओं, जिनको तृतीय किस्त का भुगतान हो चुका हो।

6. प्रक्रिया:–

1. **गर्भवती महिला की एएनसी जॉच के दौरान राजस्थान आधार एवं जनाधार का विवरण, बैंक खाते का विवरण आदि दस्तावेज** प्राप्त कर उक्त दस्तावेजों का चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा संधारण किया जायेगा एवं पीसीटीएस पोर्टल पर गर्भवती महिला का विवरण इन्द्राज किया जायेगा।
2. योजना के अन्तर्गत संस्थागत प्रसव से बालिका के जन्म होने की सुनिश्चितता पर प्रथम किश्त का लाभ बालिका की माता या माता ना होने पर पिता अथवा अभिभावक/सरंक्षक के बैंक खाते में देय होगा।
3. योजना का लाभ प्राप्त करने एवं भविष्य में लाभार्थी की ट्रेकिंग के लिए प्रत्येक बालिका को जन्म के समय ही यूनिक आईडी/पीसीटीएस आईडी नं. चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दिया जावेगा।
4. **बालिका के 9–12 माह तक लगने वाले समस्त टीकाकरण पूर्ण होना प्रमाणित होने पर एवं सम्पूर्ण टीकाकरण का पी.सी.टी.एस. पोर्टल पर ऑनलाईन करने के उपरांत चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा देय राशि बालिका की माता या माता ना होने पर पिता अथवा अभिभावक/संरक्षक के बैंक खाते में ऑनलाईन ट्रांसफर की जायेगी। लाभार्थी को द्वितीय किस्त का लाभ लेने हेतु बालिका के एक वर्ष तक जीवित होने के प्रमाण–पत्र की आवश्यकता नही होगी।**
5. प्रथम व द्वितीय किश्त का लाभ प्राप्त करने के लिये पृथक से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। चिकित्सा. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा ओजस पोर्टल के माध्यम से D.B.T. प्रणाली द्वारा लाभार्थी को भुगतान किया जाएगा। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा किए गये प्रथम व द्वितीय किश्त के भुगतान का विवरण ओजस पोर्टल को उपलब्ध करवाया जावेगा।
6. द्वितीय किश्त का लाभ लेने हेतु टीकाकरण के प्रमाण के रूप में मातृ–शिशु स्वास्थ्य कार्ड/ममता कार्ड के आधार पर टीकाकरण का समस्त डाटा चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पीसीटीएस/ओजस पोर्टल पर अपलोड करने पर देय होगा।

Scanned with OKEN Scanner

7. तीसरी किश्त से छठी किश्त तक के लाभ हेतु कक्षा 1, 6, 10 एवं 12वीं कक्षा में प्रवेश लेने के उपरान्त सम्बंधित राजकीय विद्यालय अथवा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों के माध्यम से दिया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। इस हेतु बालिका के माता–पिता/अभिभावक से पूर्व किश्तों की आई. डी. के अलावा किसी प्रकार का पृथक से कोई आवेदन नहीं करवाया जाएगा। प्रथम एवं द्वितीय किश्त की भुगतान आई.डी. के माध्यम से पोर्टल पर बालिका का विवरण ट्रैक किया जाएगा। किश्त भुगतान हेतु राजस्थान जनाधार कार्ड के साथ बैंक पास बुक की छाया प्रति आवश्यक रुप से उपलब्ध करवाई जाएगी।
8. अंतिम किश्त अर्थात बालिका के स्नातक कक्षा में प्रवेश करने पर सम्बंधित समस्त दस्तावेज पोर्टल पर उच्च शिक्षा विभाग द्वारा अपलोड करने होंगे ताकि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने तथा 21 वर्ष पूर्ण होने पर योजना का लाभ दिया जा सके।

7. <u>पर्यवेक्षण</u>:–

1. योजना का प्रशासनिक विभाग निदेशालय महिला अधिकारिता, महिला एवं बाल विकास होगा।
2. योजना की समीक्षा जिला स्तर पर संबंधित जिला कलक्टर के द्वारा तीन माह में एक बार की जाएगी। '**बेटी बचाओ बेटी पढाओ**' योजना की जिला टास्क फोर्स के द्वारा योजना का पर्यवेक्षण किया जायेगा।
3. योजना के सफल संचालन हेतु राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार ही योजना का संचालन किया जायेगा एवं आवश्यकता होने पर समुचित संशोधन किए जा सकेंगे।
4. **ई–गवर्नेंस के माध्यम से योजना के बेहतर क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण की दृष्टि से DOIT द्वारा योजना हेतु एक पृथक पॉर्टल बनाया गया है। इस पॉर्टल पर पी.सी.टी.एस. /ओजस पॉर्टल एवं शाला दर्पण पॉर्टल के डाटा को इन्टीग्रेट किया गया है। इससे योजना की रियल टाइम मॉनिटरिंग एवं डाटा का एनालिटिक विश्लेषण संभव हो सकेगा।**

8. <u>उत्तरदायित्व</u> :–

❖ **राजकीय विद्यालयों (राप्रावि/राउप्रावि/रामावि/राउमावि) संस्था प्रधानो के लिये**

1. समस्त राजकीय एंव मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों के संस्था प्रधान द्वारा लाडो प्रोत्साहन योजना हेतु अपने विद्यालय से एक शिक्षक/शिक्षिका को लाडो प्रोत्साहन योजना का प्रशिक्षण दिलवाया जायेगा। यह दक्ष शिक्षक/शिक्षिका विद्यालय में लाडो प्रोत्साहन योजना का प्रभारी होगा। विद्यालय द्वारा बालिकाओं को तृतीय एवं पश्चातवर्ती किश्तो की जानकारी उपलब्ध करवाई जायेगी।

2. राजकीय एंव मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में कक्षा 1, 6, 10 एवं कक्षा 12 में प्रवेश के समय, योजना हेतु पात्र बालिकाओं की माता, माता ना होने पर पिता या अभिभावक से यूनिक आई.डी. Pregnancy&Child Tracking and Health Services

Scanned with OKEN Scanner

Management System ID (PCTS ID) प्राप्त कर इसका प्रपत्र–9 में इन्द्राज किया जायेगा। जिसके आधार पर शाला दर्पण पोर्टल पर बालिका का विवरण ट्रैक किया जाएगा। विद्यार्थी सर्च का विकल्प शाला दर्पण पोर्टल पर उपलब्ध होगा।

3. योजना के लाभ हेतु प्राप्त सभी आवेदन पत्र शाला दर्पण/पीएसपी पोर्टल पर उपलब्ध करवायें गये विकल्प द्वारा ऑनलाईन प्रविष्ट किए जाएगें तथा बेनिफिशियरी पोर्टल पर शेष किस्तों का भुगतान किया जाएगा।
4. संस्था प्रधान द्वारा आवेदन को अन्तिम रूप से सबमिट करने से पूर्व आवेदन को अद्यतन एवं डिलीट (Delete) की सुविधा उपलब्ध रहेगी।
5. **माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन राजकीय विद्यालयों एवं निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों के आवेदन अपने संबंधित पीईईओ/यूसीईईओ के माध्यम से सीधे जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा को एवं प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अधीन प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के आवेदन सीधे जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारंभिक शिक्षा को ओटीपी के माध्यम से लॉक कर अग्रेषित किये जायेंगे।**
6. मान्यता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थानों के आवेदन उस क्षेत्र के PEEO/UCEEO की आईडी पर पीएसपी पोर्टल से शालादर्पण पोर्टल पर फैच किए जाऐंगें।

❖ पीईईओ/यूसीईईओ राजकीय विद्यालयों के संस्थाप्रधानों के लिये –

1. **PEEO/UCEEO अपनी आई.डी. पर प्राप्त आवेदनों को गहन परीक्षण उपरान्त माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन राजकीय विद्यालयों एवं निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों के सही आवेदनों को सीधे जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा को एवं प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अधीन प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सही आवेदनों को सीधे जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारंभिक शिक्षा को अग्रेषित किये जायेंगे।**

2. **प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के आवेदन जिला शिक्षा अधिकारी (मु.) प्रारंभिक शिक्षा एवं माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों एवं निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों के आवेदन जिला शिक्षा अधिकारी (मु.) माध्यमिक शिक्षा** को ओटीपी के माध्यम से लॉक कर अग्रेषित किये जायेंगे।

3.आक्षेपित आवेदन आक्षेप के साथ वापस रिवर्ट कर दिये जायेगें। जिन्हें विद्यालय स्तर से आवश्यक पूर्ति कर पुनः प्रक्रियाअनुसार निर्धारित समयावधि में अग्रेषित किया जा सकेगा।

❖ सीबीईओ(CBEO) कार्यालयों के लिये –

सीबीईओं कार्यालय के द्वारा शालादर्पण पोर्टल लॉगिन पर उपलब्ध रिपोर्ट्स के आधार पर योजना की निदेशालय द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशानुसार मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जायेगी और विद्यालयों में प्रवेश प्रकिया पूर्ण होने के तुरन्त बाद बालिकाओं को योजनाओं के लाभ हेतु शत प्रतिशत प्रविष्टियॉ पोर्टल पर ऑनलाईन होने के उपरांत अग्रेषित हो गई है, सुनिश्चित किया जायेगा। तथा इसकी सूचना **जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा /प्रारम्भिक शिक्षा के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा /प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय** को प्रस्तुत करेगें।

❖ जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा /प्रारम्भिक शिक्षा कार्यालयों के लिये –

Scanned with OKEN Scanner

1. **जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा/प्रारम्भिक शिक्षा** कार्यालय के छात्रवृत्ति प्रभारी एवं लेखा कार्मिकों द्वारा शाला दर्पण पोर्टल लॉगिन पर ऑनलाईन प्राप्त हुए आवेदनों का परीक्षण किया जायेगा. एवं ऑनलाईन ही पात्र बालिकाओं हेतु भुगतान स्वीकृति तैयार की जायेगी।
2 **जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा/प्रारम्भिक शिक्षा कार्यालय** द्वारा तैयार की गई भुगतान स्वीकृति के लिये सिस्टम आधारित यूनिक कोड़ ऑटो जनरेट किया जायेगा जो स्वीकृति आदेश पर दिनांक सहित प्रदर्शित किया जायेंगा।
3. ऑनलाईन स्वीकृति आदेश तैयार करने के बाद पे–मेनेजर पर बिल तैयार किया जाकर योजना हेतु आंवटित पूल बजट में राशि का उपयोग करते हुए बिल कोषालय को अग्रेषित किये जायेगें।
4. अपूर्ण आवेदन आक्षेप के साथ सीधे ही विद्यालय को रिवर्ट कर दिये जायेगें। जिन्हे विद्यालय स्तर से आवश्यक पूर्ति कर पुनःप्रक्रिया अनुसार निर्धारित समयावधि में अग्रेषित किया जा सकेगा साथ ही आक्षेप से रिवर्ट किये गये आवेदनों की सूचना PEEO/UCEEO के लॉगिन में भी आक्षेप के साथ प्रदर्शित की जायेंगी।

❖ **निदेशालय माध्यमिक शिक्षा /प्रारम्भिक शिक्षा राज. बीकानेर के लिये –**

1. **निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए एवं निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के लिए** लाडो प्रोत्साहन योजना की तृतीय किश्त से छठीं किश्त के भुगतान हेतु राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी होंगे और जिनके द्वारा छात्रवृति अनुभाग के माध्यम से इस योजना का संचालन किया जायेगा।
2. योजना के लाभ हेतु बालिका द्वारा विद्यालय में प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन पत्र का प्रारूप, कार्यालयों द्वारा जारी की जाने वाली ऑनलाईन भुगतान स्वीकृति आदेश प्रारूप, महिला अधिकारिता विभाग एवं अन्य विभिन्न स्तरों पर दिखाई जाने वाली रिपोर्ट्स के प्रारूप् मॉड्यूल कां फ्लो (Flow) इत्यादि की सूचना **निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा/प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान** की छात्रवृत्ति शाखा द्वारा, एन. आई.सी शाखा–शाला दर्पण को शाला दर्पण प्रकोष्ठ जयपुर के माध्यम से उपलब्ध करवाई जायेगी।
3. **निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर** द्वारा NIC के माध्यम से तैयार करवाये गये मॉड्यूल का परीक्षण कर अन्तिमीकरण करते हुए मॉड्यूल को प्रारम्भ करवाकर विद्यालयों एवं विभागीय कार्यालयों हेतु दिशा–निर्देश जारी किये जायेंगे।
4. लाडो प्रोत्साहन योजनाकी तृतीय एवं उत्तरवर्ती किश्तों के लिये भुगतान के सम्बन्ध में समय–सारणी का निर्धारण **निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा/प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान** द्वारा अन्य छात्रवृत्ति योजनाओं के अनुसार ही जारी किया जायेगा।
5. **निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर** के द्वारा शाला दर्पण पोर्टल/PSPपोर्टल पर पात्र छात्राओं की संख्या के आधार पर आवश्यक प्रत्येक सत्र की बजट राशि की मांग महिला अधिकारिता विभाग राजस्थान को प्रस्तुत की जायेगी। वहां से प्राप्त बजट राशि को IFMS पर अधिनस्थ जिला शिक्षा अधिकारियों को राशि के उपयोग हेतु अधिकृत किया जायेगा।

Scanned with OKEN Scanner

6. **जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा/प्रारम्भिक शिक्षा** द्वारा पूल बजट में बजट प्राप्त होने पर उक्त भुगतान स्वीकृतियों के अन्तर्गत सम्मिलित पात्र बालिकाओं को राजस्थान जनआधार कार्ड के माध्यम से ऑनलाईन राशि स्थानान्तरित करने हेतु सबधिंत कोषालय में बिल अग्रेषित किये जायेगे।

❖ NIC शाखा– शाला दर्पण पोर्टल के लिये–

1. NIC शाखा–शाला दर्पण शिक्षा संकुल जयपुर के द्वारा **निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा/प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान** द्वारा शाला दर्पण प्रकोष्ठ–जयपुर/बीकानेर के माध्यम से उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं के आधार पर ऑनलाईन मॉड्यूल और रिपोर्टस के निर्माण में तकनीकी सपोर्ट दिया जायेगा।
2. लाडो प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत देय समस्त परिलाभ 'राजस्थान जन–आधार' कार्ड के माध्यम से ही देय है अतः इस हेतु आवश्यक तकनीकी प्रक्रिया एवं सुविधा सुनिश्चित करने हेतु ऑनलाईन मॉड्यूल और रिपार्ट्स के निर्माण में तकनीकी सपोर्ट दिया जायेगा।
3. स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई गई नवीनतम सूचनाओं के आधार पर समय–समय (पर मॉड्यूल में आवश्यक अपडेशन एवं उनकी क्रियान्विति सुनिश्चित करना।
4. NIC टीम, ओजस पोर्टल, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान से समन्वय कर API निर्माण एवं अन्य आवश्यक तकनीकी सुविधा उपलब्ध करवाने का दायित्व निर्वहन करेगा।

❖ महिला एवं बाल विकास विभाग के लिये–

1. लाडो प्रोत्साहन योजना हेतु प्रशासनिक विभाग महिला एवं बाल विकास विभाग है। अतः महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा योजना की तृतीय एवं उत्तरवर्ती किश्तो के भुगतान हेतु **निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा/प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान** की मांग के आधार पर समय–समय पर बजट राशि **निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर** द्वारा उपलब्ध करवाये गये बजट हैड में हस्तान्तरित करेगा।
2. योजना के सम्बन्ध में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग से चाही जाने वाली सभी सूचनाओं के प्रारूप **निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान** के माध्यम से शाला दर्पण प्रकोष्ठ–जयपुर को उपलब्ध करवाये जायेंगे।

❖ शाला दर्पण प्रकोष्ठ–जयपुरके लिये –

1. शाला दर्पण प्रकोष्ठ–जयपुर द्वारा उपर्युक्त मानक संचालन प्रक्रिया के आधार पर **निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा/प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर** से प्राप्त होने वाले फ्लो (Flow) एवं प्रारूपों (Format) के अनुसार NIC शाखा से समन्वय कर आवश्यक मॉड्यूल निर्माण तथा परीक्षण उपरान्त **निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा/प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान** को उपलब्ध करवाया जायेगा और जिसके अन्तिमीकरण (परीक्षण एवं अनुमोदन) पश्चात उसे लाईव करवाया जायेगा।

Scanned with OKEN Scanner

2. **निदेशक माध्यमिक शिक्षा/प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान** द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूची के अनुसार विभागीय अधिकारियों को एक्सेस हेतू लॉगिन आई.डी.टैब उपलब्ध करवाना।
3. समय–समय पर मॉड्यूल में आवश्यक अपडेशन करवाना।
4. मॉड्यूल के सम्बन्ध में आवश्यक प्रशिक्षण कार्यशालाओं/वीडियों कॉन्फ्रेन्स आदि का आयोजना (उपयोगकर्ताओं का आमुखीकरण करना)।

9.योजना की तृतीय एवं उत्तरवर्ती किश्तों के भुगतान की चरणबद्ध प्रकिया–

1. बालिका/बालिका के मातापिता/अभिभावक द्वारा PCTS ID जनआधार कार्ड एवं बैंक पास बुक की प्रति विद्यालय को प्रस्तुत करना।
2. विद्यालय द्वारा ऑनलाइन प्रविष्ठि करना।
3. **पीईईओ/यूसीईईओ अपनी आई.डी. पर प्राप्त आवेदनों को गहन परीक्षण उपरान्त माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन राजकीय विद्यालयों एवं निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों के सही आवेदनों को सीधे जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा को एवं प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अधीन प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सही आवेदनों को सीधे जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारंभिक शिक्षा को अग्रेषित किये जायेंगे।**
4. **जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा** द्वारा ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों की जाँच करना, पात्र आवेदनों की ऑनलाइन भुगतान स्वीकृति तैयार करना। त्रुटिपूर्ण आवेदन आक्षेप के साथ विद्यालय को ऑनलाइन ही रिवर्ट करना। भुगतान स्वीकृति जारी करना एवं आवश्यकता अनुसार **निदेशालय, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर** को बजट मांग प्रस्तुत करना। भुगतान स्वीकृतियों के अनुसार जनाधार के माध्यम से भुगतान की कार्यवाही करना।
5. निदेशालय द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग से आवश्यकता अनुसार बजट प्राप्त करना। योजना हेतु आवश्यक प्रारूप उपलब्ध करवाना। योजना के आवेदन के संबंध में समय सारणी जारी करना, विद्यालयों और कार्यालयों के लिये दिशा निर्देश जारी करना।

Scanned with OKEN Scanner